भाग –III

हरियाणा सरकार

प्रर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 नवम्बर, 2019

संख्या का०आ० 81/के०अ० 14/1981/धा० 54/2019.– वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से परामर्श के बाद, इसके द्वारा, हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) नियम, 1983 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. (1) ये नियम हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) संशोधन नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशान की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) नियम, 1983 में, नियम 23, के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"23 अपील प्राधिकरण धारा 31(2):– (1) अपील प्राधिकरण, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या तो किसी एकल व्यक्ति या तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा,–

(i) एकल व्यक्ति प्राधिकरण की दशा में, अपील प्राधिकरण में या तो सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश; या पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रशासकीय सचिव, या केन्द्र या किसी राज्य सरकार की सेवा में अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है या रहा है, जो प्रधान सचिव या उसके समकक्ष पदवी का हो तथा पर्यावरण से सम्बन्धित मामलों का निपटान करने वाली संस्थाओं में प्रशाासनिक अनुभव रखता हो से मिलकर बनेगा,

(ii) तीन व्यक्तियों की दशा में अपील प्रधीकरण उपरोक्त (i) मैं विनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, जिसे अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदाभिहित किया जाएगा, तथा सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रवर्गो में से सदस्य के रूप में नियुक्त किन्ही दो व्यक्तियों से मिलकर बनेगा,–

(क) ग्रुप–क सेवा की हैसियत के समकक्ष पर्यावरणीय प्रबन्धन के क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष का अनुभव रखने वाला वैज्ञानिक;

(ख) किसी विख्यात विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग से व्यावसायिक/विशेषज्ञ, जो कम से कम प्रोफेसर के रैंक का हो;

(ग) अखिल भारतीय सेवा अधिकारी के स्तर का सचिव/निदेशक;

(घ) सेवारत/सेवानिवृत्त इंजीनियर, जो अधीक्षण अभियन्ता के स्तर से नीचे का न हो;

(ड.) अभियोजन विभाग, हरियाणा से सेवारत/सेवानिवृत्त अपर निर्देशक ;

(च) सेवानिवृत जिला/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश;

(छ) वन या सिंचाई विभाग, का प्रशासकीय सचिव/सचिव ।

यदि अध्यक्ष कोई गैर न्यायिक व्यक्ति है, तो उस दशा में एक सदस्य न्यायिक क्षेत्र तथा तकनीकी क्षेत्र से होगा।

(2) प्राधिकरण के अध्यक्ष को सरकार द्वारा प्रति मास एक लाख रूपये तथा सदस्य को प्रति मास पचास हजार रूपये मानदेय का भुगतान किया जाएगा और सरकार ऐसी दर पर यात्रा भत्तों का भी भुगतान करेगी जो सरकार के ग्रेड–I अधिकारी को यथा अनुज्ञेय है।

(3) अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य की पदावधि दो वर्ष होगी ।

(4) अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष तथा / या सदस्य सड़सठ वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करेगा / करेंगे ।

(5) अपील प्राधिकरण का मुख्यालय, सरकार द्वारा यथा विनिश्चित या तो पंचकूला या चण्ड़ीगढ़ में होगा। सरकार अपील प्राधिकरण के बैठने, आयोजन, कार्य तथा अन्य सचिवीय सेवाओं का प्रबन्ध भी करेगी। "।

धीरा खण्डेलवाल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
प्रर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग।